न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/97/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/340

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अमित कुमार शर्मा, निवासी—फ्लैट—एम, सागर अपार्टमेण्ट, 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली—110001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 03.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 06.09.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन—पत्र दिनांक: 29.04.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर आ.ख.नं. 19/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम—सैमला, तह. लक्ष्मणगढ चारागाह भूमि के सिवायचक दर्ज करने के संबंध में 01 लगायत 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर पत्रांक: 1401 दिनांक: 09.06.22 के माध्यम से किए गए विनिश्चय से असंतुष्टि के कारण ई—मेल दिनांक: 02.08.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 1953 दिनांक: 08.08.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठाकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उनके क्षेत्राधीन संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर प्रश्नगत वांछित सूचना प्रश्नात्मक/काल्पनिक/समस्या समाधान स्वरूप होने से सूचना की परिभाषा में नहीं होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च), 2(झ) व 2(ञ) में अभिप्रेत नहीं होने के कारण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 02.02.2009 एवं परिपत्र दिनांक: 16.12.2011 के आलोक में देय नहीं है।
8. अस्तु, उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांक: 06.09.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)